महिला सशक्तिकरण और पहचान के संकट का उपन्यास : 'कब्र'

मुनीर ओ के[1], & डॉo शहला के पी[2]
DOi: http://doi.org/10.5281/zenodo.19421785

सार:
समाज में महिलाओं के ऊपर हो रहे लैंगिक असमानता, भेदभाव और हिंसा जैसे आक्रमण की चुनौतियों के कारण महिला सशक्तिकरण आधुनिक समाज में एक तेजी से बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। नतीजतन, महिलाओं को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह पाने और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। इस शोध आलेख का उद्देश्य के. आर. मीरा के उपन्यास 'कब्र' के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा और महिलाओं की पहचान के संकट पर इसके प्रभाव की जांच करना है। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, आर्थिक अवसर, राजनीतिक भागीदारी और महिलाओं को उनकी पहचान के संकट से उबरने में कैसे मदद की जाए, इसका विश्लेषण और परीक्षण के. आर. मीरा. के उपन्यास 'कब्र' को केंद्र में रखकर किया जाएगा। इसके अलावा, यह आलेख लैंगिक समानता, समता मूलक समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और महिलाओं के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के महत्व पर प्रकाश डालेगा। यह शोध इस बात की भी पड़ताल करेगा कि कैसे महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समग्र रूप से समाज की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
बीजशब्द: महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, शिक्षा, प्रगति, पहचान का संकट

भूमिका:
लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता उत्तर-आधुनिक समय में प्रगतिशील समाज की प्रगति के मानदंड हैं। वहां सिर्फ पुरुष और महिलाएं की ही नहीं बल्कि थर्ड जेंडर (एलजीबीटीक्यू) की भी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। प्रगति एक ऐसी स्थिति है जहां प्राकृतिक संसाधनों, श्रम, रोजगार, धन,

[1]सहायक आचार्य, मलयालम विभाग, अमल कॉलेज ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज, निलंबूर, केरल, https://orcid.org/0009-0002-7521-7231
[2]सहायक आचार्या, हिंदी विभाग, अमल कॉलेज ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज, निलंबूर, केरल, https://orcid.org/0009-0000-4019-9411
Myself Dr. Shahla. K. P (Second author of this article) and Muneer O K (First Author of this article) acknowledge the support of the Indian Council of Social Science Research (ICSSR) for funding Minor Research Project "*21वीं सदी के अरबी, मलयालम एवं हिंदी उपन्यासों में स्त्री सशक्तिकरण: एक तुलनात्मक अध्ययन*/A Comparative Study on Women Empowerment in Arabic, Malayalam and Hindi Literature" (File. No. 02/129/2021-22/ICSSR/MN/RP Dated: 13/04/2022); the project was instrumental in the contribution of this paper.

राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक गतिविधियों, कलात्मक गतिविधियों, निर्णय, सत्ता और प्रतिनिधित्व के सवाल को लिंग भेद के बिना नागरिकों द्वारा समान रूप से साझा किया जा सकना है। वही समाज प्रगति करने वाला कहा सकता है जहां अवसरों और संसाधनों का साझा किया जा सकता हो और उनका आनंद लिया जा सकता हो और तभी लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थों में मूल्यों का आनंद आपने नागरिकों को महसूस करा सकता है और हम मानते हैं कि अब समाज के सभी क्षेत्रों में स्त्री अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का मुख्य विषय "डिजिट ऑल: इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर लैंगिक समानता" है।1 लैंगिक समानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। नए युग में, प्रौद्योगिकी और तकनीकी में सभी लिंगों को समान अधिकारों के साथ शामिल करना आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवाएं अब ज्यादातर डिजिटल हैं। वित्तीय सहायता हो या आरक्षण पात्रता प्रमाण पत्र, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। इसलिए डिजिटल साक्षरता उतनी ही महत्वपूर्ण है।

भारत की साक्षरता दर जब हमें स्वतंत्रता मिली (1947 में) तो केवल 12% थी। 2011 की जनगणना तक, यह बढ़कर 74.04% हो गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों ने भारत को इस प्रगति की ओर अग्रसर किया है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर केवल 65.46 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि भारत की एक चौथाई आबादी अभी भी निरक्षर है। महिलाओं की साक्षरता दर हमेशा पुरुषों की तुलना में कम रही है। यह महिला शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत की डिजिटल साक्षरता इसकी साक्षरता दर से बहुत कम है। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला देते हुए पाया गया कि भारत के 12 राज्यों में 60% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं। सर्वे के मुताबिक 21वीं सदी में 50 फीसदी पुरुष इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2

डिजिटल विभाजन आज के भारत में एक वास्तविकता है। यह वह युग है जहां शिक्षा से लेकर इलाज तक सब कुछ डिजिटल उपकरणों की मदद से हासिल किया जा सकता है। लेकिन भारत के अधिकांश लोग डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना नहीं जानते हैं या उसकी सेवाओं के बारे में नहीं जानते हैं। तथ्य यह है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इंटरनेट आधारित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए शिक्षा नहीं मिल पा रही है।

इसीलिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय 2022-23 में डिजिटल डिवाइस के प्रति एक सहज स्थिति बनाने केलिए विभिन्न योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए तैयार हुई। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को साक्षरता और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अधिकांश महिलाएं इंटरनेट और न्यू मीडिया का उपयोग करने में सक्षम नहीं

हैं।2014 से 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 को उद्धृत करते हुए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि भारत में 33% महिलाओं और 57% पुरुषों ने इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता हासिल की है।3

यह सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर प्रिंटर, इंटरनेट, 3जी-4जी सेवाओं आदि जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के मामले में लैंगिक असमानता जारी है।

आजकल शिक्षा, रोजगार, काउंसिलिंग, परीक्षा आदि सब बड़ी कुशलता से ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। किंतु केवल कुछ प्रतिशत भारतीय महिलाएं ही समय के साथ इस बदलाव में शामिल होती हैं। बाकी लोग इस तकनीकी सामाजिक प्रगति के बाहर हैं। इसी सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में खडे होकर हमें भारत में वर्तमान महिला सशक्तिकरण और प्रगति को समझने की आवश्यकता है।

एक व्यक्ति की अपनी पहचान, अधिकार, लोकतांत्रिक गतिविधियों में उसके प्रतिनिधित्व, शिक्षा में योगदान आदि विभिन्न आयामों से ही होता है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में महिला सशक्तिकरण की पड़ताल करते समय ये मानक कम पड़ जाते हैं। महिलाओं को तभी सशक्त किया जा सकता है जब उन्हें आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, न्याय क्षेत्र में समान व्यवहार और अन्य नागरिक अधिकार, जीवन में खुद चुनाव करने की आजादी आदि आसानी से प्राप्त हो सके।

21वीं सदी महिला सशक्तिकरण की सदी है। महिलाएं उच्च पदों पर पहुंची है । आईएएस और आईपीएस से लेकर राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों तक, आईआईटी और आईआईएम जैसे शैक्षणिक संस्थानों में सीईओ पदों तक और भारोत्तोलन जैसे खेलों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, इच्छाशक्ति, मेहनत और ताकत के दम पर पहुंच बनाई है। डिजिटल डिवाइड के इस युग में, यह एक वास्तविकता है कि महिलाएं साक्षरता और डिजिटल साक्षरता प्राप्त करके आईटी पेशेवरों, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और स्व-उद्यमियों के रूप में आगे बढ़ रही हैं।

इसी सामाजिक सन्दर्भ में के.आर. मीरा द्वारा लिखे गए2020 में प्रकाशित उपन्यास 'कब्र' की महिला पात्र के जीवन को परखा जा सकता है।

'कब्र' उपन्यास में स्त्री सशक्तिकरण

इस उपन्यास की मुख्य पात्र भावना एक ऐसी शख्सियत है जिसने शिक्षा के माध्यम से एक स्थान हासिल किया है। वह एक पढ़ी-लिखी मां की बेटी है, जो कलेक्ट्रेट में चपरासी का काम करती थी। किंतु भावना में डिजिटल साक्षरता, सामाजिक जागरूकता के साथ साथ उच्च शिक्षित भी है। भावना अपने प्रयास से जिला जज के पद तक पहुंची हैं।

उपन्यास में भावना का प्रतिनिधित्व भारतीय समाज में महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में है जिसने न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण हासिल किया है। हमें उनके शैक्षिक उत्थान को केवल एक महिला के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं की उन्नति के उदाहरण के रूप में देखना चाहिए। भावना एक ऐसी महिला है जो पढ़ती है, प्यार करती है और अपनी मर्जी से शादी करती है और अपनी पसंद की नौकरी करती है। जिस महिला ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया और अपने सपनों को जिया, उसके प्रति परिवार और समाज का क्या नजरिया है? शिक्षित महिला को समाज परिवार का यह रवैया कैसा लगता है? उपन्यास इन सभी सवालों के जवाब देता है। भावना को शादी के बाद वह लैंगिक न्याय या बराबरी नहीं मिलती जो उसे प्यार करते वक्त मिली थी। भावना का पति प्रमोद एक वकील था। भावना से तलाक लेने के बाद प्रमोद दूसरी शादी कर लेता है। उपन्यासकार हमें दिखाता है कि भावना अपने बेटे को साथ लेकर अपने पूर्व पति की शादी में साहसपूर्वक जाती है।

प्रमोद को अपनी पत्नी भावना और पुत्र अद्वैत से कोई प्रेम नहीं था। अद्वैत अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से पीड़ित है। जिस दिन उन्हें पता चला कि उनके बेटे को यह बीमारी है, प्रमोद इस प्रकार चिल्लाया: "एक पल के लिए भी मुझे शांति नहीं देनेवाले इस शापित जानवर को अपनी आंखों के सामने देखूं तो ..."4

भावना का दावा है कि यह व्यवहार प्रमोद के मादक व्यक्तित्व विकार के कारण है। प्रमोद का यही एक चारित्रिक दोष है जो प्रमोद और भावना के विवाह को समाप्त कर देता है।

भावना कहती हैं, "पहले किस के बाद, प्रमोद ने मुझे 'एटी' (अरी) के अलावा और कुछ नहीं कहा। वह चुंबन उस संबोधन केलिए अधिकार की स्थापना थी।" 5 प्रमोद महिला को 'एटी' कहकर उस पर अपना वर्चस्व जता रहा था।

उपन्यास से यह स्पष्ट होता है कि प्रमोद को उसकी पत्नी का शिक्षा, काम और स्थिति के मामले में उससे ऊपर उठना बर्दाश्त नहीं। यहाँ प्रमोद परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करता है। यह भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला द्वारा हमेशा सामना करनेवाली समस्या है। भावना भी इस व्यवस्था का शिकार होती जा रही है।

पहचान का संकट

यद्यपि आधुनिक शिक्षा प्राप्त और सशक्त महिला है भावना, लेकिन उसके भीतर बाल्यकाल में उसके परिवार से प्राप्त धार्मिक कथाओं और मिथकों का प्रभाव, परंपरा की भावना और रीति-रिवाजों के प्रति आस्था नहीं गयी है। इसी अवस्था में भी वे सारी बातें उसके मन को प्रभावित करती हैं। भावना याद करती है कि 'कैसे वह अपने पति प्रमोद को पाने के लिए, जिससे वह लॉ कॉलेज

में प्यार करती थी, छह या सात साल तक सोमवार का उपवास किया करती थी, और उसके पसंदीदा काम करके उसे खुश करती थी। '6 यह महसूस करते हुए कि भावना की उपलब्धियाँ और सफलताएँ उसके पति की हीन भावना को भड़काती हैं, वह बहुत सी ऐसी चीज़ों को त्याग देती है जो उसे प्रिय हैं। उसने नगर दंडाधिकारी की परीक्षा नहीं लिखने का भी निश्चय किया जिसमें प्रमोद परीक्षा लिखकर फेल हुआ था। अधीनता का यह रवैया एक कारण है जिसमें महिलाएं समाज में अपनी पहचान को बनाए रखने और अपनी क्षमताओं के अनुसार जीने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को बनाए रखने वाली सामाजिक चेतना और परिवार व्यवस्था जो स्त्री को उसकी इच्छा के अनुसार विकसित नहीं होने देती, इस उपन्यास में प्रकट होती है। भावना का जीवन पाठक से बात करता है कि महिला अंततः इसकी शिकार होती है। लेकिन भावना जल्द ही एक ऐसी शादी से मुक्त हो जाती है जो उसे समझ नहीं पाती और उसे स्पेस देने से इनकार करती है। इस तरह उसका प्रमोद से तलाक हो जाता है।

तलाक आज़ादी की घोषणा और सशक्तिकरण की भावना में एक मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है। तलाक के बाद वह अपने पैरों पर खड़ी होने का फैसला करती है और इसके लिए वह परीक्षा देती है और जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हो जाती है और ऐसा जीवन जीने लगती है जो सामाजिक स्थिति और भत्तों के साथ किसी भी अन्य महिला को ईर्ष्या लगती।

उच्च पद पर आसीन एक आधुनिक शिक्षित महिला को अपने समाज को अत्यधिक सावधानी से देखना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार, जब एक महिला अपने परिवेश को वैज्ञानिक जागरूकता और तर्कसंगत सोच के साथ समझती है, तो वह वास्तव में सशक्त (सशक्त होना) है। लेकिन उपन्यास हमें दिखाता है कि इस प्रक्रिया में भावना विफल हो जाती है। विज्ञान और तर्क को पछाड़ते हुए, प्राचीन आस्था के कुछ तत्व उसके दिमाग में चले जाते हैं और भावना को भ्रम के दूसरे जीवन में ले जाते हैं। प्रोफेसर एम के सानू ने इस उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि "अंधविश्वास का युग 20वीं सदी की शुरुआत में ही शुरू हो चुका था। उसके मन की आस्था और आदिम शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीतना शुरू कर दिया था।" 7

पारंपरिक मान्यताएं और पौराणिक तत्व जो बचपन से जानकर और सीखते हुए बड़े हुए हैं, भावना के मन पर हावी हैं। ऐसी मान्यताएं और मानसिकताएं महिलाओं को सशक्तिकरण की स्थिति से पीछे खींचती हैं। इस उपन्यास की कथा के दौरान हम देख सकते हैं कि भावना अपने मन का कार्य पारंपरिक विश्वास के अनुसार करती है। इसलिए वह दादी मां की कहानियों और परिवार के सदस्यों के बारे में परीकथाओं के माध्यम से अपने दिमाग में बने व्यक्तित्व से एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं कर पाती है। आधुनिक शैक्षिक मूल्यों से अधिक, भावना बेतहाशा दंतकथाओं और पूर्वजों के घर में हुई अजीबोगरीब चीज़ों से प्रभावित होती है।

भावना मामले की सुनवाई के लिए एक न्यायाधीश के रूप में खड़ी होती है और प्रतिवादी और वादी के सामने अदालत में गिर जाती है। उच्च शिक्षा से हासिल किया गया सारा मनोबल यहां लुप्त होता नज़र आ रहा है। वह दावा करती है कि जादूगर खयालुद्दीन द्वारा उनके मंत्रों के कारण यह सब उसके साथ हुआ। भावना कल्पना करती है कि खयालुद्दीन में अपने बूढ़े, मृत योगीश्वरन चाचा को कब्र से उठाने की शक्ति है और वह उस शक्ति के कारण उसे हरा देगा। खयालुद्दीन एक कब्र के केस लेकर आया था। लेकिन कागज़ातों के अभाव के कारण केस हार गया था।

"भले ही तुम एक जज हो, पर तुम सिर्फ एक स्त्री हो?" मैंने उसके दिमाग की खिल्ली उड़ाते हुए सुना। मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। न्याय आसन पर कोई पुरुष या महिला नहीं है। मैंने उसे यह सिखाने का फैसला किया कि वहां केवल देवता ही बसता है। 8 जिला न्यायाधीश भावना सच्चिदानंदन इस प्रकार चक्कर आकर गिरने के बाद अस्पताल में पड गयी थी। बाद में कोर्ट आने पर कोर्ट की एक कर्मचारी सेलिना, इस स्थिति के लिए जिला न्यायाधीश को दोषी ठहराती है, क्योंकि पारंपरिक रूप से जिन्न की सेवा करने वाले काकसेरी तंगल (मुल्ला) ही इन सबके पीछे है। भावना को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पढ़े-लिखे आर्किटेक्ट ऐसा जादू कर सकते हैं। लेकिन उसके आसपास के लोग उसे विश्वास दिलाते हैं। फिर वह उस विश्वास का हिस्सा बन जाती है। एक महिला को "सिर्फ एक महिला" के रूप में देखने वाले समाज का पितृसत्तात्मक रवैया यहाँ स्पष्ट है। यह मानसिकता महिला सशक्तिकरण को कमजोर करती है।

भावना सच्चिदानंदन का जिला न्यायाधीश के पद पर आसीन होना, शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में एक महिला द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वोच्च पदों में से एक है। एक महिला जिसने साक्षरता के साथ-साथ तकनीक और डिजिटल साक्षरता भी हासिल की है। भावना एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरी है जो खुद कुछ भी पाने में सक्षम है, जिसने अपनी इच्छा के अनुसार नौकरी चुनी है।

जब डॉक्टर से पूछा गया कि अगर किसी महिला के पेट में दो बच्चे होते हैं तो एक ही मरेगा तो डॉक्टर का जवाब था हां। डॉक्टर ने इसका वैज्ञानिक नाम दिया। वह शब्द था वैनिश्ड ट्विन। भावना खुद बताती है कि उन्हें इस शब्द के बारे में और कैसे पता चला-- "फिर मैंने इसे तब खोजा जब मेरे पास एक कंप्यूटर और एक नेट कनेक्शन था" 9

भावना सच्चिदानंदन एक ऐसी महिला है जो अपनी निरंतर अध्ययन से हर साल खुद को नया करती है। डिजिटल और तकनीकी पहुंच की सहायता से वह ज्ञान के क्षेत्र में वह आगे बढ़ती जाती है। फिर भी वह महिला सशक्तिकरण की पूर्ण सीमा तक नहीं पहुंच पा रही है। हम पहले ही जान चुके हैं कि यह उन चुनौतियों के कारण है जो उसे परिवार, समाज और परंपरा आदि के माध्यम

से मिला है। इन्हीं सब बातों का वह कार्यस्थल पर भी सामना करती हैं जहां सभी शिक्षित हैं और जिन समस्याओं का वह मानसिक रूप से अनुभव भी करती है। भावना सच्चिदानंद पुरुषों के समान शिक्षा, नौकरी, वेतन और सामाजिक स्थिति होने के बावजूद अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। इसका कारण सामाजिक मानदंड या अलिखित सामाजिक नियम हैं जो हमेशा भारतीय संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में रोड़े के समान खड़े रहे हैं। सच्चाई यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इन अलिखित कानूनों की अधिक शिकार होती हैं। कब्र उपन्यास इस स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। उपन्यास के अंतिम भाग में भावना का आत्मकथ्य इस प्रकार देखा जा सकता है--

"मैं मेज़ पर अपना सिर रखकर लेट गई। कोई अंदर आया। मेज पर कुछ रख दिया। मुझमें अपना चेहरा उठाने की ताकत नहीं थी। गिरने का दर्द मेरे अंदर था। मुझे डर था कि दो भ्रूण एक दूसरे को गायब होने की चाल सिखा रहे हैं पेट में। धीरे-धीरे मेरे चारों ओर एडवर्ड गुलाब के फूलों की महक फैल गई। फिर भी मैंने अपनी आँखें खोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी आँखें खोलीं तो क्या होगा? "10

भावना के मन की इस अवस्था के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। यहां देखा जा सकता है कि आंतरिक भय और मंत्र की आराधना का सुख नारी को इक्कीसवीं सदी के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व को पूरा करने से रोकता है। भावना सच्चिदानंद के माध्यम से लेखक ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जीवन के माध्यम से जो चरित्र उभारा है उपन्यास में वह महिला सशक्तिकरण में अनुभव किए गए पहचान संकट को बताता है।

निष्कर्ष

कब्र उपन्यास में के. आर. मीरा ने भावना सच्चिदानंदन नामक पात्र की भूमिका के माध्यम से एक उच्च शिक्षा और नौकरी प्राप्त भारतीय महिला द्वारा अनुभूत किए गए पहचान के संकट को बड़ी स्पष्टता के साथ दर्शाया है, भावना सच्चिदानंद को इस मुकाम तक महुंचने में या यूं कहें कि महिला सशक्तिकरण की सामाजिक प्रक्रिया में जो अवरोध उत्पन्न हुए उसे बखूबी लेखिका ने चिन्हित किया है। उपन्यास की मुख्य पात्र भावना अपने जीवन के हर मोड़ पर पितृसत्ता द्वारा उत्पन्न इस संकट का सामना करती है। यह उपन्यास बहुत बारीकी से स्पष्ट करता है कि कुछ सामाजिक ताकतें महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने एवं स्वतंत्र रूप से काम करने में बाधा और अवरोध उत्पन्न करती हैं और इस पुरुष-केंद्रित समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से रोकती हैं और वह कुछ प्रभावों की गुलाम बन जाती हैं।इस उपन्यास में समतामूलक समाज के निर्माण के लिए शिक्षित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करना और उनका समाधान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। शिक्षा और रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करके,

समाज के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर, और महिलाओं को सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके महिला सशक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करके, भारत एक अधिक महिला-नेतृत्व वाला समाज बना सकता है जो महिला सशक्तिकरण को महत्व देता है और उसका समर्थन करता है। जिसमें पुरुष की केंद्रीय भूमिका और उनका वर्चस्व उस रूप में नहीं होता जिस रूप में पितृसत्तात्मक समाज में होता है। अंततः महिला की हर क्षेत्र में भागीदारी और प्रतिनिधित्व पूरे देश को लाभान्वित करता है। वैसी साहित्यिक कृतियाँ, विशेष रूप से उपन्यास विधा में, महिलाओं के जीवन को विषयगत बनाकर और उन्हें पितृसता से मुक्त करने की प्रक्रिया में लिखे गए उपन्यास महिला सशक्तिकरण की सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और समाज को समतामूलक समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. https://www.un.org/en/observances/womens-day

2. एम.इकोनॉमिकटाइम्स.कॉम 5, 2020

3. hindustantimes.com - 10, 2012

4. मीरा के. आर, क़ब्र, डीसी बुक्स, 2021 पृष्ठ 47

5. मीरा के. आर,कब्र, डीसी बुक्स, 2021, पृष्ठ 85

6. मीरा के. आर, क़ब्र, डीसी बुक्स, 2021, पृष्ठ 48

7. मीरा के. आर, क़ब्र, डीसी बुक्स, 2021, पृष्ठ 9

8. मीरा के. आर, क़ब्र, डीसी बुक्स, 2021, पृष्ठ 35

9. मीरा के. आर, क़ब्र, डीसी बुक्स, 2021, पृष्ठ 95

10. मीरा के. आर, कब्र, डीसी बुक्स, 2021, पृष्ठ 104